न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या : 55/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जबरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर कल्ला तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. किशोरसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर कल्ला तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 2. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने बाबत्

तारीख रजू : 29.04.2022

अधिवक्तागण :–

1. श्री कुन्दनसिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 20.08.2024

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा पृथ्वीसिंह गजेसिंह पिसरान इन्द्रसिंह की खातेदारी भूमि मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 रकबा 26.14 बीघा भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात रकबा 13.07 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र के दिनांक 02.09.1996 को खरीद की थी तथा बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थी को कब्जा सुपूर्द कर पड़ौस भी बेचान में अंकित करवाये जिसमे उत्तर दिशा में मलसिंह का खेत, दक्षिण में बेचानकर्ता की शेष भूमि, पूर्व दिशा में मलसिंह का खेत तथा पश्चिम दिशा में राणासर कला से सोनड़ी जोने वाली सड़क अंकित कर कब्जा दिया गया। बेचानकर्ता द्वारा उक्त शेष भूमि का बेचान उसी दिन अप्रार्थी संख्या 01 को किया जिस बेचान में भी पड़ौस उत्तर दिशा में मलसिंह का खेत दक्षिण दिशा में जबरसिंह का खेत जो आज प्रार्थी द्वारा बेचान किया है पूर्व दिशा में पुनिमा विश्नोई व [illegible] का खेत तथा पश्चिम दिशा में जबरसिंह का खेत आया हुआ है। उक्तानुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या [illegible] बाद खरीद के कब्जा काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में [illegible] परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:51:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

है। उक्त भूमि की जमाबन्दी नक्शा की प्रति की आवश्यकता होने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व नक्शा में प्रार्थी कब्जा काश्त अनुसार नही है वर्तमान में खेत खसरा संख्या 380 जिस पर प्रार्थी काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है वह खते प्रार्थी की खातेदारी का है लेकिन रेर्कड में उक्त खेत अप्रार्थी संख्या 01 का बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 380/3 है उसके नाम प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 380 अंकित कर दिया जो मौके के अनुसार नही है तथा न ही उक्त बेचान के अनुसार है। उक्त विपरित राजस्व दस्तावेजो के आधार पर मौके पर विवाद है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 राजस्व रेकर्ड में व नक्शा में प्रार्थी के नाम तथा मौजा राणासर के खसरा संख्या 380/3 राजस्व रेकर्ड में व नक्शा में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा पृथ्वीसिंह गजेसिंह पिसरान इन्द्रसिंह की खातेदारी भूमि मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 रकबा 26.14 बीघा भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात रकबा 13.07 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र के दिनांक 02.09.1996 को खरीद की थी तथा बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थी को कब्जा सुपूर्द कर पड़ौस भी बेचान में अंकित करवाये जिसमे उतर दिशा में मलसिंह का खेत, दक्षिण में बेचानकर्ता की शेष भूमि, पूर्व दिशा में मलसिंह का खेत तथा पश्चिम दिशा में राणासर कला से सोनड़ी जोने वाली सड़क अंकित कर कब्जा दिया गया। बेचानकर्ता द्वारा उक्त शेष भूमि का बेचान उसी दिन अप्रार्थी संख्या 01 को किया जिस बेचान में भी पड़ौस उतर दिशा में मलसिंह का खेत दक्षिण दिशा में जबरसिंह का खेत जो आज प्रार्थी द्वारा बेचान किया है पूर्व दिशा में पुनिमा विश्नोई व गेनसिंह का खेत तथा पश्चिम दिशा में जबरसिंह का खेत आया हुआ है। उक्तानुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 बाद खरीद के कब्जा काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में काबिज भी है, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है। उक्त भूमि की जमाबन्दी नक्शा की प्रति की आवश्यकता होने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व नक्शा में प्रार्थी कब्जा काश्त अनुसार नही है वर्तमान में खेत खसरा संख्या 380 जिस पर प्रार्थी काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है वह खते प्रार्थी की खातेदारी का है लेकिन रेर्कड में उक्त

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

खेत अप्रार्थी संख्या 01 का बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 380/3 है उसके नाम प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 380 अंकित कर दिया जो मौके के अनुसार नही है तथा न ही उक्त बेचान के अनुसार है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 राजस्व रेकर्ड में व नक्शा में प्रार्थी के नाम तथा मौजा राणासर के खसरा संख्या 380/3 राजस्व रेकर्ड में व नक्शा में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपति नही है।

तहसीलदार धोरीमन्ना मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू.अ./2022/1212 दिनांक 21.06.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के पिताजी पृथ्वीसिंह व गजेसिंह के नाम खातेदारी में अंकित थी जो दिनांक 02.09.1996 को बेचाननामा अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 को कर दी गई। उक्त बेचाननामों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटी से परस्पर विपरित कर दी गई। वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम अंकित है, जबकि मौका अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार हरा रंग से दर्शाया गया प्रार्थी के कब्जे काश्त का है जिसके अनुसार तरमीम सही की जानी प्रस्तावित है, जिस पर प्रार्थी का पक्का मकान एवं ट्युबबेल बने हुए है तथा प्रार्थी का काश्त भी है तथा केसरिया रंग से दर्शाई गई भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त तरमीम सही करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद नही है। लिहाजा मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 प्रार्थी के नाम तथा मौजा राणासर के खसरा संख्या 380/3 अप्रार्थी संख्या 01 के नाम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार शुद्ध की जानी प्रस्तावित है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2072, बेचान दस्तावेज दिनांक 02.09.1996 का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के मद्देनजर मौजा राणासर के खसरा संख्या 380 प्रार्थी तथा मौजा राणासर के खसरा संख्या 380/3 अप्रार्थी संख्या 01 संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार बरंग हरा प्रार्थी के नाम तथा बरंग केसरिया अप्रार्थी संख्या 01 के नाम लठ्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध किया जाना [illegible] प्रतीत होता है। उभय पक्षों ने तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट [illegible] परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम दुरूस्त की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा राणासर कला पटवार हल्का राणासर कला तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 380 रकबा 13.07 बीघा भूमि व खसरा संख्या 380/3 रकबा 13.07 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम अपास्त की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रसतुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" नक्शा में दर्शाये बरंग हरा अनुसार प्रार्थी तथा बरंग केसरिया अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार धोरीमन्ना **तदनुसार भू–राजस्व अधिनियम–1956 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्ड्स) नियम 1957 के अंतर्गत** राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। **तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।**

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner